



## केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.

### CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)  
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002



के.मा.शि.बो./शै./अ.नि.(अ.एवं न.)/2016

दिनांक 4 मार्च, 2016

परिपत्र संख्या शैक्षणिक 8/2016

#### उपलब्धि के लिए लक्ष्य

#### सर्व शिक्षा अभियान

भारत सरकार के निर्देश कहते हैं कि सभी विद्यालय एक लक्ष्य कथन तैयार करें और सन 2022 में जब देश स्वतंत्रता पश्चात् 75 वर्ष पूरे करता है तो सभी संस्थानों द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। विद्यालय प्रमुखों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विद्यालय का लक्ष्य कथन तैयार किया जाए और विद्यालय की वेबसाइट के होम पेज पर विशिष्ट रूप से दर्शाया जाए और सभी कार्यालयीन प्रकाशनों में जून 2016 के प्रथम सप्ताह में या उससे पूर्व-दर्शाया जाए।

**लक्ष्य कथन** मूल्यों और लक्ष्यों का औपचारिक लिखित सारांश है जो कि विद्यालय किसका प्रतिनिधित्व करता है और इसके ध्येय क्या हैं की रूपरेखा स्पष्ट करने के लिए है।

**एक प्रभावशाली लक्ष्य कथन क्यों होना चाहिए?** जब विद्यालय अपनी छवि का निर्माण और उसे बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण विचार उनका लक्ष्य है। एक सुविचारित और प्रारूपीकृत लक्ष्य कथन अपने पाठ्यक्रम के द्वारा उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उन्हें केन्द्रबिन्दु, निर्देश और प्रेरणा प्रदान करता है। यह उनके मूल्यों का प्रतिनिधित्व और विद्यार्थियों, शिक्षकों और हितधारकों की कार्य संस्कृति को प्रभावित करता है।

इसलिए के.मा.शि.बो. सभी विद्यालय प्रमुखों को अपने लक्ष्य कथनों को विशिष्ट रूप से विद्यालय की वेबसाइट के होमपेज पर दर्शाने के लिए सभी आवश्यकतानुसार कार्य करने के लिए सलाह देता है। इसके लिए विद्यालय संलग्नक में दिए गए दिशा निर्देशों का अवलोकन कर सकते हैं। किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, यदि कोई हो तो, पी राजेश्वरी, शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक) को: [rajeswary.cbse@gmail.com](mailto:rajeswary.cbse@gmail.com) पर लिखें।

सुगंध शर्मा

(सुगंध शर्मा)

अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
- 11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैट-110010.
- 12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
- 13 एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
- 14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
- 15 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
- 21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
- 26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

**अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)**